भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 985

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

बाल संरक्षण के लिए वात्सल्य मिशन पोर्टल

985. श्री राजू बिष्ट :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल संरक्षण सेवाओं को एकीकृत करने के लिए नवीकृत वात्सल्य मिशन पोर्टल शुरू किया है, यदि हां, तो उक्त पोर्टल के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) खोया-पाया, ट्रैकचाइल्ड, बाल संरक्षण सेवाओं और केयरिंग्स जैसे मौजूदा प्लेटफार्मों के एकीकरण से देश भर में बाल संरक्षण तंत्र की प्रभावकारिता में किस प्रकार वृद्धि होगी;

(ग) क्या इस पोर्टल में गुमशुदा और असुरक्षित बच्चों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई तंत्र शामिल होगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेष आवश्यकता की दरकार वाले और दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए पोर्टल का उपयोग करने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण, इसका प्रभावी कार्यान्वयनऔर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार वात्सल्य मिशन पोर्टल के संचालन और निगरानी में गैर-सरकारी संगठनों/अन्य हितधारकों को शामिल कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संशोधित मिशन वात्सल्य पोर्टल शुरु किया है, जो बाल संरक्षण सेवाओं से संबंधित सभी हितधारकों के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है।

मिशन वात्सल्य पोर्टल तकनीकी रूप से उन्नत सुरक्षित पोर्टल है जो राज्य एवं ज़िले के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न हितधारकों के लिए डिजिटल रूप से कार्य करने का मंच प्रदान करता है। पहले से उपलब्ध खोया-पाया और ट्रैकचाइल्ड सेवाओं को इस एकीकृत पोर्टल के तहत लाया गया है।

मिशन वात्सल्य पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं में हितधारकों जैसे राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य स्तर पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी और जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल देखभाल संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए एकल डिजिटल मंच शामिल है। यह पोर्टल जमीनी स्तर पर कार्य के दोहराव से बचाता है। यह विभिन्न एमआईएस डैशबोर्ड के माध्यम से बेहतर निगरानी और आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए संसाधनों का इष्टतम उपयोग भी सुनिश्चित करता है।

(ग) : मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आपातकालीन प्रतिक्रिया और आउटरीच सेवा टोल-फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन (#1098) के माध्यम से प्रदान की जाती है, जो कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए 24x7x365 सेवा है। यह गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस -112) हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन (181) के साथ एकीकृत है। मिशन वात्सल्य पोर्टल पर चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज मामलों की जानकारी उपलब्ध है।

(घ) : इस पोर्टल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) के सहयोग से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल हेतु मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया है।

(ड.) : मिशन वात्सल्य पोर्टल के अंतर्गत सभी हितधारकों को लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान किए जाते हैं, जिनमें एजेंसियां और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन से संबंधित हैं।

******